झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या 7518 वर्ष 2017

लाल बद्रीनाथ शाहदेव ... ... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, राजस्व विभाग, रांची
3. उपायुक्त, रांची
4. अंचलाधिकारी, बरगई, रांची
5. निदेशक, मेसर्स सर्वप्रिया स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री विवेक राय

राज्य के लिए: श्री गौरव राज, ए0ए0जी0–II के ए0सी0

05/05.01.2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामला उठाया जाता है।

वर्तमान रिट याचिका, उत्तरदाताओं को खाता संख्या 72, प्लॉट संख्या 520, थाना संख्या 180, मौजा–होटवार, जिला–रांची से संबंधित भूमि के 1.78 एकड़ क्षेत्रफल के हिस्से पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए उत्तरदाता संख्या 5 (निजी उत्तरदाता) के द्वारा निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिट याचिका के विषय वस्तु का अध्ययन किया।

उत्तरदाता संख्या 4 के द्वारा जारी पत्र संख्या 463 (ii) दिनांक 04.11.2016 (रिट याचिका के संलग्न–4) के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता के अनुरोध पर, खाता संख्या 9 और साथ ही साथ खाता संख्या 72 से संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें यह पाया गया था कि खाता संख्या 9 के अन्तर्गत प्लॉट संख्या 521, 522, 565 और 577 के 0.47, 0.20, 0.88 और 0.51 एकड़ (कुल क्षेत्रफल 2.06 एकड़) भूमि पर उत्तरदाता संख्या 5 के द्वारा कुछ निर्माण किया जा रहा था। चूंकि खाता संख्या 9 के अंतर्गत उपरोक्त भूखण्ड संख्या 72, भूखण्ड संख्या 520 (प्रश्नगत भूमि) के ठीक बगल में है, उत्तरदाता संख्या 4 के अनुसार, याचिकाकर्त्ता संख्या 4 के अनुसार, याचिकाकर्त्ता संख्या 4 के अनुसार, याचिकाकर्त्ता को यह प्रतीत हुआ होगा कि कथित निर्माण खाता संख्या 72 के अन्तर्गत उपरोक्त भूखण्ड पर किया जा रहा होगा।

चूंकि वर्तमान रिट याचिका में तथ्यात्मक मुद्दा शामिल है जो पहले से ही सत्यापित किया गया है जैसा कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.11.2016 से स्पष्ट होगा, मुझे वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

वर्तमान रिट याचिका, तद्नुसार, खारिज की जाती है।

(राजेश शंकर, न्याया0)